

Government of Haryana/हरियाणा सरकार Directorate of Food and Supplies खाद्य एवं पूर्ति निदेशालय

अतिआवश्यक/परम अग्रता

सेवा में

- सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, हरियाणा राज्य में ।
- उप-नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, हरियाणा, अम्बाला छावनी ।
- सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान,
 अम्बाला/रोहतक/हिसार तथा फरीदाबाद ।
 यादि कमांक: 2ई(1)-2015/ 21105
 दिनांक, चण्डीगढ 23/6/2015

विषय:-

प्रोपर्टी रिटर्न से सम्बन्धित सूचना भेजने बारे ।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

2. जैसा कि आप सभी को विदित हैं कि हरियाणा कर्मचारी नियमावली, 1966 के नियम 18 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा चल-अचल सम्पति की घोषणा प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रोफार्मा में दी जानी होती है । जिसके संदर्भ में मुख्यालय पर समय-समय पर पत्र लिखे जाने उपरांत भी आपसे व आपके अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रोपर्टी रिटर्न की सूचना प्राप्त नहीं हो रही है और यदि प्राप्त होती है तो उसमें पूर्व विवरण नहीं दिया होता, जिसे सरकार के द्वारा गम्भीरता से लिया है । अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने अपने पत्र कमांक 2/8/2015-2GSI दिनांक 04.06.2015 के द्वारा वार्षिक सम्पत्ति घोषणा विवरणी (चल एवं अचल) के प्रोफार्में में संशोधन किया गया है।

3. अत: आपको चल-अचल सम्पति से संबंधित संशोधित प्रोफार्मा भेजते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि आप स्वयं तथा आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2014-2015 और यदि पिछले वर्षों में भी प्रोपर्टी रिटर्न की सूचना मुख्यालय पर नहीं भेजी गई हैं तो उस अविध की भी प्रोपर्टी रिटर्न की सूचना सरकार द्वारा संशोधित प्रफोर्मा में भरकर पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर-2 मुख्यालय पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- सम्पति घोषणा विवरणी का संशोधित प्रोफार्मा ।

उप-निदेशक (प्रशासन) कृते: महानिदेशक खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा ।

पृ0 कमांक: 2ई(1)-2015/**2110**6

अनुबन्ध-'ए' व 'बी'

दिनांक, चण्डीगढ 23/6 205

उपरोक्त की एक प्रति मुख्यालय पर कार्यरत सभी शाखा अधिकारियों/शाखा ईन्चार्जों को भेजते हुए अनुरोध हैं कि वें भी स्वयं अपनी व अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों की प्रोपर्टी रिटर्न संशोधित प्रोफार्मा में भर कर स्थापना-। शाखा को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर-2 भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- सम्पति घोषणा

उप-निदेशक (प्रशासन)

विवरणी का

कृते: महानिदेशक खाद्य एवं पूर्ति, हरियाणा ।

संशोधित प्रोफार्मा । अनुबन्ध-'ए' व 'बी'

2nd Floor, 30 Bays Building, Sector:17-B, Chandigarh/दूसरी मंजिल, 30 बेज बिलर्डिंग, सैक्टर-17-बी, चण्डीगढ

ANNEXURE-A

ECLA OVER	RATION FO	ORM FOR MOVA IPLOYEES (CON	BLE PROPER	RTY U	NDER 6).	RULE 18	OF THE
ame 8	& Designatio	on of the Govt. Ser	rvant				
ddres	S				•••••		
statem	ent made or	n					
(2)	Debentures; Loans & Ad Motor-cars.	ellery, Deposits, dvances by such 0 Motor-cycle, Hors s, Radiograms an	Government en	nploye er mea	e wheth	ner secure	d or not;
Descr	iption:						
(i) (ii) (iii) (iii) Sr. No.	Debentures Motor-cars,	Motor-cycle, Hor rs, Radiograms a	ses, or any oth	er mea	ans of o		
No.	None	3	family Benamidar (i in whose nam assets is held	and any ne the	acquis	(003.0	
b) (iv)	Details of L	coans					
Sr. No.	Amount of Loan	If loan is a secured one, nature of the security with appropriate value	Name of member of the Govt. servants family who has advanced loan	Name descr of loane	the	Date with other particulars of the loan.	

Signature of the Govt. Servant

Dated:

अनुबन्ध-क

रकारी व		नेयमावली, 19 घोषणा	66 के नियम 18 के २ फार्म		фI
रकारी क	र्मचारी का नाम त	ाथा पद संज्ञा			
ता					
नांक	को	देया घोषणा	पत्र लिसी, हिस्से प्रतिभूतिय		
विवरणः (क)	कदी, जेवर, बैंक र	जमा, बीमा पा जर्रकिल घोडे	अन्य इलेक्ट्रानिक साम लिसी, हिस्से, प्रतिभूति और/या अन्य वाहन अन्य इलेक्ट्रानिक साम	यां तथा डिबैंचरः	
(iii) रा कम संख्या	मदों का विवरण	मूल्य	सरकारी कर्मचारी के परिवार के स्दस्य और बेनामीदार (यदि कोई हो) का नाम जिसके नाम पर परिसम्पति रखी हुई है	वर्ष के दौरान नए अधिग्रहण की	विशेष कथन

कम संख्या	कर्जे में ली गई राशि	यदि कर्ज़ ले लिया है तो इसके अनुमानित मूल्य के साथ प्रतिमूति की किस्म	सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य का नाम जिसने कर्जा दिया है	कर्जदार व ब्यौरा सहि नाम	4 6	विशेष कथन
						री आचरण

नोटः सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य वाक्य की व्याख्या सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1966 के नियम 2 (सी) में दी गई परिभाषा के अनुसार की जाएगी।

दिनांक:

कर्मचारी के हस्ताक्षर

ANNEXURE-B

DECLATATION BY

UNDER RULE 18 OF THE GOVERNMENT EMPLOYEES (CONDUCT) RULES, 1966.

Members of a Government Servants family are those mentioned in rule 2(c) of the Government Employees (Conduct) Rules, 1966 and in showing the holding of each, if a holding is Benami, the name of the Benamidar should also be mentioned.

All interest in land of a permanent nature whether ownership, mortgage or hereditary occupancy, should be entered also dwelling houses in State, District, Village or City.

..OF THE IMMOVABLE PROPERTY HELD BY HIM AND MEMBERS OF HIS FAMILY

B. Building with plot size (Residential/ Institutional/ Commercial/ Agricultural etc.) A. Type of Land area/plot Type of Property Commercial/ Agricultural (Residential/Institutional/ Name of State, Plot/ Agriculture
District, SubDivision &
Village or city in (i) Cost of which property is Land 2 (ii) Year of acquisition (iii) cost of (i) constructed (ii) No. of floors Building Building construction/ acquisition Mode inheritance/gift etc.) Mortgage/ purchase/ (Whether by lease/ of Details person/ authority crit.
person/ authority crit.
property acquired dependent (name category category of Details of whether held in Annual Income person/ authority own name of from each 6 Benamidar (if any) or property in A & B

Signature of Applicant

Dated:

अनुबन्ध—ख

वर्ष

घोषणा द्वारा.....के तहत अचल सम्पति बारे।

2) 1 स्थाई भूमि के सारे हित, मलकीयत, रेहन अथवा पैतृक तौर पर प्राप्त सम्पति तथा राज्य, ज़िले, गांव व शहर में आवास सहित दर्ज होने चाहिए। सरकारी कर्मचारी के परिवारिक सदस्यों जो कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियम, 1966 के नियम 2 (सी) तथा प्रत्येक का क्षेत्र दिखाते हुए यदि क्षेत्र बेनामीदार हो तो बेनामीदार का नाम भी होना चाहिए।

एंव उसके परिवार के सदस्यों द्वारा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1966 के नियम 18

		41 01
		क्म
	क. भूमि का स्वरूप/प्लाट क्षेत्रफल (रिहायशी/ संस्थागत/ व्यावसायिक/ कृषि एवं अन्य) ख. इमारत/भवन क्षेत्रफल सहित (रिहायशी/संस्थागत/	सम्पति का स्वरूप
2	एवं शहर का नाम जहां सम्पति स्थित 1. भूमि का मूल्य हैं 2. भूमि अधिग्रहण का वर्ष	जिला तहसील, जप-मंडल, गांव
ω.	 भूमि का मूल्य भूमि अधिग्रहण का वर्ष 	स्ताट / कृषि मृमि
4	 निर्मित क्षेत्र तलों की संख्या इमारत/भवन की निर्माण लागत 	इमारत एवं भवन
Ch .	विवरण (उत्तराधिकारी, पुन, सम्पति दान, खरीद, पट्टे पर, गई है रेहन, भेंट इत्यादि.)	सम्पति अधिग्रहण/ व्यक्ति प्राप्ति का ढंग प्राधिक
6	जिससे प्राप्त की	व्यक्ति /
7	उसके आश्रित के नाम (नाम व संबंध) और बेनामीदार का नाम (यदि कोई हो तो) जिसके नाम पर परिसम्पति रखी गई है	सम्पति कर्मचारी के
œ	वार्षिक आय	। श्रेणी से होने वाली

देनाक:

कर्मचारी के हस्ताक्षर